ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 और साथ जोड़ी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 19, 20, 34 एवं 43 का उत्तर

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) हरियाणा राज्य में वर्ष 1992 में शुरू की गई थी।

1. आई.सी.डी.पी. चरण-I: प्रथम चरण में, हरियाणा राज्य के सभी जिलों को कवर करते हुए 17 परियोजनाएं वर्ष 1992 में शुरू की गईं और 2013 में पूरी हुईं। इन परियोजनाओं के लिए जारी की गई कुल राशि 135.56 करोड़ रूपए जिसमें से 132.19 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया और शेष राशि 3.37 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुई।

2. आई.सी.डी.पी. चरण-II: इस चरण में सात जिलों में परियोजनाएं अर्थात् भिवानी में मार्च 2011, पंचकुला, अंबाला, सिरसा, हिसार में मार्च 2013, फतेहाबाद में जून 2013 और रेवाड़ी में अप्रैल, 2017 में स्वीकृत की गई, जो कि क्रमशः मार्च 2018, मार्च 2018, दिसम्बर 2019, अगस्त 2020, सितम्बर 2020, अगस्त 2020 एवं मार्च 2022 में पूरी हुईं। इन 7 परियोजनाओं के लिए कुल राशि 131 करोड़ रुपए जारी की गई, जिसमें से 107 करोड़ रूपए का उपयोग किया गया और 19.50 करोड़ रुपये सरकारी कोष में जमा हुए।

3. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की एक पैनलबद्ध सलाहकार एजेंसी द्वारा अन्य 6 जिलों कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई थी जो कि जुलाई एवं अगस्त 2019 में प्रस्तुत की गई। परियोजना स्वीकृति पत्र दिनांक 30 मार्च 2021 को जारी किए गए थे। ये परियोजनाएं 31 मार्च 2024 तक चालू हैं। इन 6 परियोजनाओं के लिए जारी की गई राशि 61.65 करोड़ रूपए थी, जिसमें से 19.46 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया एवं 9 करोड़ रुपए सरकारी कोष में जमा किए गए। अनुमान तैयार करने, निविदाएं जारी करने और सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए जमा कार्य के रूप में हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को 29 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए थे। शेष राशि लगभग 4 करोड़ रूपए क्षेत्रीय कार्यालयों के खातों में उपलब्ध हैं।

4. सरकार के निर्देश दिनांक 17 नवम्बर, 2022 के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा द्वारा जांच शुरू की गई एवं मई व जुलाई, 2023 में 4 एफ.आई.आर. दर्ज की गई। सरकार ने 11 जुलाई, 2023 को 6 जिलों (कैथल, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम) में चल रही परियोजनाओं के बैंक खातों को फ्रीज करने हेतु हिदायत भी जारी की तथा निर्देश दिए कि वेतन और कार्यालय व्यय के अलावा आई.सी.डी.पी. के किसी भी फंड का उपयोग न किया जाए। इसके अतिरिक्त 2023-24 के दौरान भी कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

5. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच को आगे बढाते हुए जनवरी एवं फरवरी, 2024 में 9 एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई। इन 13 एफ.आई.आर. के अनुसार कुल कथित राशि 8.80 करोड़ रूपए है।

6. सरकार ने अनुच्छेद 311 (2बी) का प्रयोग करते हुए दिनांक 23 अक्तूबर, 2023 को श्री सुमित अग्रवाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षक तथा दिनांक 21 फरवरी, 2024 को श्रीमती अनु कोशिश, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, श्री योगेन्द्र अग्रवाल, उप मुख्य लेखा परीक्षक और श्री राम कुमार, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को बर्खास्त कर दिया।

7. एफ.आई.आर. में वर्णित एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार अन्य सभी 9 अधिकारी अर्थात् श्री कृष्ण चंद बेनीवाल, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को दिनांक 4 फरवरी, 2024, श्री जितेंद्र कौशिक, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दिनांक 4 फरवरी, 2024, श्री संजय हुडा, महाप्रबंधक केंद्रीय सहकारी बैंक दिनांक 5 फरवरी, 2024, श्री बलविंदर सिंह, लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां दिनांक 6 फरवरी, 2024, श्री रोहित गुप्ता, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दिनांक 7 फरवरी, 2024, श्री विजय सिंह, प्रबंधक हरको बैंक दिनांक

7 फरवरी, 2024, श्री संदीप खटकड़, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दिनांक 13 फरवरी, 2024, श्रीमती सुनीता ढाका, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दिनांक 15 फरवरी, 2024 और श्री नरेंद्र कुमार, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां दिनांक 26 फरवरी, 2024 को निलंबित कर दिया गया।

8. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तफतीश में पाया गया कि आई.सी.डी.पी. के अधिकतर कार्य दोषी स्टालिन जीत सिंह की कम्पनियों⁄फर्मस को अलाट किए गए। यह भी पता चला कि वह पिछले 20 वर्षो से सहकारिता विभाग से संबंधित कार्य कर रहा था।

9 ऑडिट विंग के अधिकारी⁄कर्मचारी अर्थात् श्री संदीप कुमार, लेखा परीक्षक, श्री विनोद कुमार, लेखा परीक्षक, श्री ईश्वर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक और श्रीमती नीलम ढींगरा, वरिष्ठ लेखा परीक्षक को ऑडिट करने में लापरवाही के कारण दिनांक 17 फरवरी, 2024 को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया।

10. श्री नरेश गोयल, प्रबंध निदेशक हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एचएससीएआरडीबी) को जुलाई, 2017 में नोडल अधिकारी आई.सी.डी.पी. का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, न कि 2014 में। हालांकि, नोडल अधिकारी आई.सी.डी.पी. का प्रभार दिनांक 05.02.2024 को अन्य अधिकारी को दे दिया गया है।

11. प्रथम चरण की 17 परियोजनाओं में से 14 आई.सी.डी.पी. परियोजनाओं का ऑडिट पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त दूसरे चरण के प्रथम भाग की 2 परियोजनाओं का ऑडिट पूर्ण हो चुका है तथा शेष 5 परियोजनाओं की अंतरिम आडिट रिपोर्ट जारी कर दी गई है तथा भाग-2 की परियोजनाओं का ऑडिट सक्रिय प्रगति पर है।

12. सरकार ने वर्ष 2000 के बाद स्वीकृत सभी आई.सी.डी.पी. परियोजनाओं का फोरेंसिक और तीसरे पक्ष से वित्तीय ऑडिट कराने का भी निर्णय लिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में स्वतंत्र ऑडिटिंग फर्मों के पैनल हेतु दिनांक 06 फरवरी 2024 को विज्ञापन जारी किया जा चुका है।

13. सहकारिता विभाग द्वारा लगातार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती रही है तथा श्री अनमोल रतन, लेखा परीक्षा अधिकारी को दिनांक 04 अक्तूबर 2021, श्री योगेन्द्र अग्रवाल, उप मुख्य लेखा परीक्षक दिनांक 08 नवम्बर 2021, श्री प्रवीण गुप्ता, लेखा परीक्षा अधिकारी दिनांक 19 अप्रैल 2022, श्री इंदर सिंह, उप अधीक्षक दिनांक 15 दिसम्बर 2022, श्री जिले सिंह, लिपिक दिनांक 15 दिसम्बर 2022 और श्री नवल सिंह, लिपिक दिनांक 15 दिसम्बर 2022 को निलंबित किया गया एवं आरोप पत्र जारी किए गए। इसके अतिरिक्त श्रीमती अनु कोशिश, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, श्री भूपेन्द्र यादव, निरीक्षक, श्री नगेंद्र कुमार, निरीक्षक और श्री अनिल कुमार, निरीक्षक को भी आरोप पत्र जारी किए गए।

14. सैलरी अर्नर्स थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट (एस.ई.टी.सी.) सहकारी समितियां और गैर कृषि थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट (एन.ए.टी.सी.) सहकारी समितियां का मुख्य उद्देश्य जमा स्वीकार करके सदस्यों के बीच बचत और बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना और अपने सदस्यों को सुविधाजनक और आसान शर्तों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करना है। एस.ई.टी.सी. समिति और एन.ए.टी.सी. समिति में बुनियादी अंतर यह है कि एस.ई.टी.सी. समिति के सदस्य केवल वेतनभोगी कर्मचारी ही बन सकते हैं जबकि एन.ए.टी.सी. समिति की सदस्य आम जनता बन सकती है।

15. हरियाणा राज्य में 326 एस.ई.टी.सी. और एनएटीसी सहकारी समितियां कार्यरत हैं जिनमें से हिसार जिले में 133 समितियां हैं। एस.ई.टी.सी. और एन.ए.टी.सी. समितियों के उपनियमों के अनुसार, जमा स्वीकार करने के साथ-साथ अग्रिम ऋण देने के लिए ब्याज दर क्रमशः प्रबंध कमेटी और आम सभा द्वारा तय की जाती है। हालाँकि कई समितियाँ अच्छी तरह से काम कर रही हैं, फिर भी कुछ सहकारी समितियों (लगभग 20) की प्रबंध कमेटी ने जमा

राशि का दुरूपयोग किया या बिना उचित सत्यापन आदि के ऋण आबंटन किया। इसके परिणामस्वरूप ऋण की खराब वसूली हुई और अंततः, जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की वापसी नहीं हो पाई या वापसी में परेशानियां आईं।

16. जब अनियमितताएं विभाग के संज्ञान में आईं तो राज्य में नई एस.ई.टी.सी. और एन.ए.टी.सी. सहकारी समितियों के पंजीकरण पर वर्ष 2001 में प्रतिबंध लगा दिया गया।

17. ऐसे मामलों में जहां समिति की प्रबंध कमेटी के सदस्यों/ कर्मचारियों ने जमा राशि का दुरुपयोग किया है, उनके विरूद्ध हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 ('अधिनियम') की धारा 101 के तहत अधिभार की कार्यवाही शुरू की जाती है। अधिनियम की धारा 110 और 111 के तहत दोषियों से समिति के धन की वसूली उनकी चल/अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के माध्यम से की जाती है। जमाकर्ताओं को जमा राशि की वापसी ऐसी कुर्क संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से की जाती है।

***